संख्या-43/2016-1446ई-2/तेरह-2016-93/2004

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 05 जुलाई,2016

विषय:-बाटम्स अप रेस्टोरेन्ट, मझोला दिल्ली रोड, मुरादाबाद एवं जायका रेस्टोरेन्ट होटल राजमहल, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्बोधित एवं शासन को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-232/एफ0एल0-7/बार-अनुज्ञापन/2016-17, दिनांक 04 जून,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 04-6-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-59/दस-लाइसेंस-68/खण्ड-4/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/मुरादाबाद दिनांक 15 जून,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त बाटम्स अप रेस्टोरेन्ट (ए यूनिट आफ युवराज कान्स्ट्रक्शन एण्ड लीजिंग इण्डिया लि0) मझोला, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन व श्री प्रतीक आहूजा पुत्र श्री मनोज कुमार अहूजा निवासी, राजन इन्क्लेव पी0ए0सी0 तिराहा, मुरादाबाद के नाम से जायका रेस्टोरेन्ट, होटल राजमहल सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) बाटम्स अप रेस्टोरेन्ट (ए यूनिट आफ युवराज कान्स्ट्रक्शन एण्ड लीजिंग इण्डिया लि0) मझोला, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के बार अनुज्ञापी द्वारा टूरिस्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बंग्लो के कमरों में ठहरने वाले पर्यटकों को मदिरा नहीं परोसी जायेगी। मदिरा केवल रेस्टोरेन्ट के अनुमोदित बार हाल में उपभोक्ताओं को परोसी जायेगी।

(2) जायका रेस्टोरेन्ट, होटल राजमहल सिविल लाइन्स, मुरादाबाद के अनुज्ञापी द्वारा होटल राजमहल के कमरों में ठहरने वाले पर्यटकों को मदिरा नहीं परोसी जायेगी। मदिरा केवल रेस्टोरेन्ट के अनुमोदित बार हाल में उपभोक्ताओं को परोसी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-43/2016-1446(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-59/दस-लाइसेंस-68/खण्ड-4/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/मुरादाबाद दिनांक 15 जून,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।